

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

<u>असाधारण</u>

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 34 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

<u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 को दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2013 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

[उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं सड़क सुरक्षा उपकर उपकर अधिनियम,] 2012 [उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2013]

<u>अनुक्रमणिका</u>

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	
2.	परिभाषाएं	
3.	उपकर की दर और उसका भुगतान	
4.	उपकर संग्रह करने का अधिकार पट्टे पर देने की राज्य सरकार की शक्ति	
5.	सेवक आदि लोक सेवक होना	
6.	उपकर निरीक्षक के अधिकार	
7.	बैरियर की स्थापना	
8.	उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन	
9.	उपकर निरीक्षक को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना	
10.	उपकर का भुगतान न करने के मामले में प्रक्रिया	
11.	सचल दस्तों की स्थापना	
12.	शास्तियाँ	
13.	कानूनी कार्यवाहियों का वर्जन	
14.	छूट	
15.	नियम बनाने की शक्ति	
16.	प्रमाणीकरण	
17.	निरसन और अपवाद	

¹{उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं सड़क सुरक्षा उपकर अधिनियम}, 2012 {उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड राज्य के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयानों पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :--

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ¹¹उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं सड़क सरुक्षा उपकर अधिनियम}, 2012 है।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

- परिभाषायें
- 2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "बैरियर" से इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;
 - (ख) "उपकर" से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है;
 - (ग) "उपकर निरीक्षक" से उत्तराखण्ड के किसी सडक मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटर यान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें—
 - (एक) किसी ''बैरियर'' पर उपकर संग्रहण हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक; और
 - (दो) धारा 4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है;
 - (घ) "संग्रहण प्राधिकारी" से धारा 11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (ङ) "आयुक्त" से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
 - (च) "पट्टेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 4 के अधीन पट्टे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है;
 - (छ) "हल्का मोटरयान" से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि०ग्रा० वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है;

^{1—} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2016 कीधारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (ज) "मोटरयान" से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है, उसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाडी या साइकिल सम्मिलित नहीं है;
- (झ) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ञ) "सरकारी गजट" से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है;
- (ट) "मार्ग अवस्थाना" से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल, भूमिगत मार्ग, पंहुच या सन्धि मार्ग, उप मार्ग और उनसे आनुषंगिक अन्य सेवायें और स्विधायें अभिप्रेत है;
- (ठ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ड) "राज्य सरकार" या "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ढ) "टोकन" से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

¹{उपकर की दर और भुगतान

3.

- (1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।
- (2) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी व्यक्ति बैरियर पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।
- (3) मोटरयान जिसने राज्य में किसी / बैरियर पर उपधारा (2) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उसी दिन के भीतर जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है, पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।
- (4) प्रत्येक मोटरयान से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित बैरियर पर प्रवेश के समय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर देय उपकर की वसूली की जायेगी:

परन्तु यह कि यदि कोई वाहन स्वामी जिसे विभिन्न प्रयोजनों से बार—बार उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना होता है वह दैनिक दर के स्थान पर यथास्थिति उपधारा (5) एवं (6)में निर्दिष्ट तिमाही अथवा वार्षिक दर पर उपकर का भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकता है।

¹⁻ उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (5) तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिए अधिमान्य होगा।
- (6) वार्षिक टंकण उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

{स्पष्टीकरण:- * * *}¹

उपकर संग्रह करने का अधिकार पट्टे पर देने की राज्य सरकार की शक्ति

- (1) राज्य सरकार उस तिथि से जिसे वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटर यान से धारा 3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसी सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त, राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्टे पर दे सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन पट्टा स्वीकृत करने के उद्देश्य से आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग में उपकर की प्राप्तियों और पटटे की अविध में प्रभावी उपकर की दरों पर विचार करते हुये पटटे की अविध के अन्तर्गत बैरियर पर सम्भावित वसूल की जाने वाली प्रतिकर की अधिकतम धनराशि आंकलित करेगा।
- (3) पट्टे धारक के लिये पट्टे की सीमा एवं शर्तों का ठीक से अनुपालन करने के ऐसी प्रतिभूति, जैसी आयुक्त निर्देशित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (4) ऐसी धनराशि (शास्ति, ब्याज या किसी विधिक कार्यवाही की लागत सिहत) जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा देय हो, यदि देय तिथि तक भुगतान नही की जाती है तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया की भॉति की जायेगी।

सेवक आदि लोक सेवक होना उपकर निरीक्षक के अधिकार

5. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जायेंगें।

मोटर यान का चालक, उपकर निरीक्षक द्वारा उससे ऐसी मांग करने पर यान को रोकेगा ताकि वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये किसी दायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

6.

¹⁻ उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2016 की घारा 3 द्वारा हटाया गया।

बैरियर की स्थापना

7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उददेश्य से, समय—समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी।

उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन 8. किसी बैरियर पर लिये जाने के लिये अधिकृत उपकर की हिन्दी या अंग्रेजी में शब्दों और अंकों में सुपाठ्य लिखित या छपी हुयी तालिका ऐसे बैरियर के पास सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी। उपकर का भुगतान करने से इन्कार करने और अवैध रूप से कोई उपकर लेने के लिये शास्ति का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोड़ा जायेगा।

उपकर निरीक्षक को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोडा जायेगा।

9. इस अधिनियम के कियान्वयन हेतु, जब आवश्यक हो, उपकर निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होगा और इसके लिये उनकी वही शक्तियाँ होगी, जो उनके पास उनके सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती है।

10. मांगे जाने पर उपकर का भगतान न करने के मामलें में उसके संग्रहण के

उपकर का भुगतान न करने के मामलें में प्रकिया मांगे जाने पर उपकर का भुगतान न करने के मामलें में उसके संग्रहण के लिये नियुक्त व्यक्ति मोटरयान को तब तक अवरूद्ध कर सकता है जब तक कि उपकर का भुगतान न हो जाय।

सचल दस्तों की स्थापना

- (1) उपकर की टाल मटोल रोकने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मोटरयानों की जांच करने हेतु सचल दस्ते स्थापित करने का आदेश दे सकती और इस प्रकार स्थापित सचल दस्ते सरकार के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन संग्रहण प्राधिकारी होगा।
- (2) जब संग्रहण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, मोटरयान को रोकेगा और तब तक खडा रखेगा जब तक आवश्यक हो और संग्रहण प्राधिकारी को उपकर के भुगतान की रसीद या टोकन का परीक्षण करने तथा ऐसे मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति, संग्रहण अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनायें भी उपलब्ध करायेगा।
- (3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अंतिम प्रवेश के समय भुगतान किये गये उपकर की रसीद को राज्य में ठहरने के दौरान वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (4) यदि मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित उपकर के भुगतान की गयी रसीद अथवा टोकन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संग्रहण प्राधिकारी धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर} पर निरीक्षण के स्थान पर उपकर वसूल कर सकेगा:

परन्तु यदि धारा ४ के अधीन उपकर संग्रह करने का अधिकार पट्टे पर देने का राज्य सरकार निर्णय करती है तो उपधारा (3) के प्राविधान लागू नहीं होगें।

^{1—} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2016 की घारा 3 के (क) तथा (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी संग्रहण प्राधिकारी माल सिंहत यदि कोई हो, जो उसमें लाया जा रहा हो उतनी अविध के लिये जो न्यायपूर्ण रूप से आवश्यक हो, मोटरयान को निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और उसका जाने की अनुमित तब ही देगा जब मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपकर और इस धारा के अधीन अधिरोपित संग्रहण फीस का भुगतान कर दिया हो या उसके सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो या उपकर और संग्रहण फीस की धनराशि सुरक्षित करने के लिए जमानितयों या बिना जमानितयों का बंध पत्र निष्पादित कर दिया हो।

शास्तियाँ

12. **(1)** जो कोई—

- (क) इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी बैरियर को पार करने का प्रयास करेगा; या
- (ख) इस अधिनियम की किन्ही व्यवस्थाओं या उसके अधीन बनाये गये नियमों या ऐसी किसी व्यवस्था या नियम के अधीन बनाये गये किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो वह जुर्माना जो पाँच सौ रूपये की धनराशि तक का होगा दायी होगा।
- (2) उपकर निरीक्षक द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई मजिस्ट्रेट नहीं लेगा।

कानूनी कार्यवाहियों का 13. वर्जन कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशायित है, नहीं होगी।

छूट

- (1) द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में दी गयी शर्तों एवं अपवादों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये कोई उपकर अधिरोपित और देय नहीं होगा।
 - (2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, जो तीस दिन से कम न हो, सदृश्य अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में किसी यान को जोड़ सकती है या विलोपित कर सकती है और उसके उपरान्त उक्त द्वितीय अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।
 - (3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति 15. राज्य सरकार, सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा उपकर लगाने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये और सामान्य रूप से इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को वहन करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम

से संगत नियम बना सकेगी।

प्रमाणीकरण

16.

- (1) किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत या भुगतान किये गये किसी उपकर को वापस करने के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रक्षित या चालू नहीं की जायेगी और न ही किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी डिकी या आदेश, जिसमें उसे वापस करने के निर्देश हो, के लिये बाध्यता कारित करेगा।
- (2) संदेहों के निवारण के लिये यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह—
 - (क) अधिनियम की व्यवस्थानुसार उपकर अधिरोपित, संग्रहण या भुगतान के बारे में पूछताछ करने; या
 - (ख) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन देय धनराशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान की गयी उपकर की धनराशि को वापस करने का दावा करने से प्रतिषिद्ध करती है।

निरसन और अपवाद

- 17. (1) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अध्यादेश, 2012 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं० 10 वर्ष 2012) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
 - (2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

प्रथम अनुसूची

{ * * *}¹

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2016 की धारा 4 द्वारा अनुसूची प्रथम निरसित ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 14 देखिये)

क0	विवरण	शर्ते और अपवाद
सं0		
1	2	3
1	भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार,	
	मा० उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटरयान।	_
2	[विभिन्न राज्यों मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिगण, विधान सभा के अध्यक्ष/	
	उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद् के सभापति / उपसभापति, विधान सभा के	_
	सदस्य / विधान परिषद् से सम्बन्धित मोटरयान।}¹	
3	अग्निषमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, षारीरिक रूप से निषक्त व्यक्तियों के	
	उपयोग के लिये विषेश रूप से बनाई गयी मोटरयान	_
4	मोटर साइकिल और स्कूटर; और, कृशि प्रयोजन हेतु ट्रैक्टर (जब कृशि कार्य के लिये	
	प्रयुक्त हो)।	_
5	उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान।	_

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2016 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

$\{ \mbox{THE UTTARAKHAND INFRASTRUCTURE AND ROAD SAFETY CESS} \}^1 \\ \mbox{ACT, 2012}$

[Uttarakhand Act No. 06 of 2013]

INDEX

Section	Particular	Page No.
1	2	3
1.	Short title, extent and commencement	
2.	Definitions	
3.	Rate of cess and its payment	
4.	Power of the State Government to lease the right to collect	
	cess	
5.	Servants etc. to be public servants	
6.	Power of Cess Inspector	
7.	Establishment of barriers	
8.	Exhibition of table of cess and statement of penalties	
9.	Assistance to Cess Inspectors by police officers	
10.	Procedure in case of non-payment of cess	
11.	Establishment of Mobile Squads	
12.	Penalties	
13.	Bar to proceedings	
14.	Exemptions	
15.	Power to make rules	
16.	Validation	
17.	Repeal and Savings	

[THE UTTARAKHAND INFRASTRUCTURE AND ROAD SAFETY CESS]¹

ACT, 2012

[Uttarakhand Act No. 06 of 2013]

An Act

to provide for the levy and collection of Transport and Civic Infrastructure Cess on motor vehicles passing over any road infrastructure in Uttarakhand.

(As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-three Year of the republic of India)

Short title, extent and commencement

- . (1) This Act may be called the [Uttarakhand Infrastructure And Road Safety Cess] Act, 2012.
 - (2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.
 - (3) It shall be deemed to have come into force on October 15, 2012. In this Act, unless the context otherwise requires-

Definitions

2.

- (a) "barrier" means a barrier established under section 7 of this Act;
- **(b)** "Cess" means the Transport and Civic Infrastructure Cess;
- (c) "Cess Inspector" means the person authorised by the State Government to collect cess in respect of any motor vehicle passing over any road infrastructure and includes-
 - (i) every Government servant posted at a barrier in connection with the collection of cess; and
 - (ii) employed by him as his agent for every lessee or the person collection of cess under section 4;
- (d) "Collecting authority" means any person appointed by the State Government for the purpose of section 11;
- (e) "Commissioner" means Transport Commissioner, Uttarakhand;
- **(f)** "lessee" means a person to whom the lease of the right to collect cess has been granted under section 4;
- (g) "light motor vehicle" means a motor car or van or jeep or gypsy the unladen weight of which does not exceed 7500 kilograms;
- (h) "motor vehicle" means any laden or unladen vehicle designed to be driven under its own power including a motor vehicle as defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) but does not include a cart or bicycle;
- (i) "notification" means notification published under appropriate authority in the Official Gazette;
- (j) "Official Gazette" means the "Sarkari Gazette" of Uttarakhand;

¹⁻ Subs. by section 2 of U.K Act no 28 of 2016.

- **(k) "Road Infrastructure"** means roads, tunnels, flyovers, bridges, underground roads, approach or link roads or by-passes and includes other services and facilities ancillary thereto;
- (I) "Schedule" means Schedule appended to this Act;
- (m) "State Government" or "Government" means the Government of Uttarakhand;
- (n) "token" means proof of collection of cess at the rates specified in columns (4) and (5) of the Schedule.

¹[Rate and payment of Cess

3.

- (1) In respect of any motor vehicle, to make use of any road or infrastructure, cess shall be imposed and recovered at such rate as may be specified by the State Government in the Gazette.
- (2) The person in-charge of the motor vehicle making use of any road infrastructure shall make payment of cess to the inspector posted at the barrier and obtain receipt from him, it shall be the proof of payment of amount mentioned in it.
- (3) A motor vehicle that has made payment of cess under sub-section (2) at any barrier in the State shall not be required to pay cess again while crossing any barrier established under this Act within same day for which payment has been made.
- (4) AT the barrier established on the border of Uttarakhand State, cess due at the rate specified in sub-section (1) shall be recovered from every motor vehicle t the time of entry:
 - Provided that any motor vehicle owner who has to frequently enter into the Uttarakhand State for different reasons may obtain a token by making payment of cess at quarterly or annual rate specified in the sub-section (5) and (6) as the case may be, in place of daily rate.
- (5) The quarterly payment shall be valid for the quarters beginning on first January, first April, first July and first October.
- (6) Annual token shall be valid for the financial year for which it has been issued.

Explanation: $\{***\}^2$]¹

.....

¹⁻ Subs. by section 2 of Uttrakhand Act no 13 of 2016.

²⁻ Repl. by section 3 of UK Act no 28 of 2016.

Power of the State Government to lease the right to collect cess

- 4. (1) The State Government may, with effect from such date as it may by notification specify, lease to any person the right to collect cess levied under section 3, on motor vehicles passing over any road infrastructure, by auction or tender or combination of both, or any other mode for any financial year or part thereof, on such terms and conditions as the Commissioner may, subject to approval of the State Government, determine.
 - (2) For the purpose of grant of lease under sub section (1), the Commissioner shall, after taking into consideration the receipts of the cess or the preceding year or any part thereof and the rates of cess applicable for the lease period assess aggregate amount of cess likely to be recovered at a barrier during the period of lease.
 - (3) The lessee shall be required to furnish such security for due fulfilment of the terms and conditions of the lease as the Commissioner may direct.
 - (4) Any sum (including penalty, interest or costs of the proceedings) payable by the lessee under a lease granted under sub-section (1), if not paid by the due date, shall be recoverable as arrears of land revenue.

Servants etc. to be public servants

5. All persons appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Power of Cess Inspector

6. The driver of a motor vehicle shall cause the vehicle to stop when required to do so by the Cess Inspector to enable him to carry out any of the duties imposed on him under this Act.

Establishment of barriers

7. The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, establish or remove barriers on any road infrastructure, for the purpose of this Act.

Exhibition of table of cess and statement of penalties

8. A table of the cess authorised to be taken at any barrier shall be put in a conspicuous place near such barrier legibly written or printed in Hindi and English words and figures, to which shall be annexed, written or printed in like manner, a statement of penalties for refusing to pay the cess and for taking unlawfully any cess.

Assistance to Cess Inspectors by police officers

9. All police officers shall be bound to assist the Cess Inspectors, when required, in the execution of this Act; and, for the purpose, shall have the same powers which they have in the exercise of their ordinary police duties.

.....

Procedure in case of non-payment of cess	10.	In case of non-payment of such cess on demand, the person appointed to collect the same may detain the motor vehicle until the cess is paid.	
Establishment of Mobile Squads	11.	 The State Government may, by notification, order the establishment of Mobile Squads for checking of the vehicles to ensure collection of the cess and prevent evasion and the Mobile Squads so established shall be under the charge of an officer of the Government, who shall be a collecting authority under this Act. When so required by the collecting authority, the driver or the person-in-charge of the motor vehicle shall stop the motor vehicle and keep it stationary as long as may be necessary, and allow the 	
		collecting authority to examine receipt or token of payment of cess paid and the driver or the person-in-charge of such motor vehicle shall also furnish such other information as may be required by the collecting authority.	
		3) ¹ {The driver or person-in-charge of the vehicle shall keep in the receipt of payment of cess paid, at the time of entering into the Uttarakhand State, in the motor vehicle during his stay in the State and shall present it to the collection authority when demanded.}	
		4) If the driver or the person-in-charge of the motor vehicle fails to produce the receipt of payment of cess or token, as required under sub-section (3), then the collecting authority shall recover the cess at the place of inspection at the ¹ {prescribed rate under sub-section (1) of section 3:	
		Provided that in case the Government decides to give on lease the right to collect Cess under section 4, the provisions of sub-section (3) shall not apply.}	
		5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the collecting authority may also order detention of the motor vehicle, including the goods, if any, being carried therein, for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to proceed only after the driver or the person-in-charge of the motor vehicle making payment of the cess and the amount of collection fee imposed under this section or furnishing to his satisfaction a security or executing a bond with or without sureties for securing the amount of cess and collection fee.	

¹⁻ Subs. by section 3 (a) and (b) of Uttrakhand Act no 13 of 2016.

Penalties

- **12. (1)** Whosoever:-
 - (a) attempts to cross any barrier without compliance with the provisions of this Act, or
 - (b) contravenes any other provision of this Act or the rules made there under or any order or direction made under any such provision or rule, shall be liable, on conviction, to a fine which may extend to five hundred rupees.
 - (2) No magistrate shall take cognisance of any offence under this Act except on a complaint in writing, made by the Cess Inspector.

Bar to proceedings

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person, authorised to act by or under this Act, for anything done or purporting to have been made, in good faith, under this Act or the rules made there under.

Exemptions

- 14. (1) No cess shall be payable and charged on the vehicles specified in column (2) of the Schedule-II for the use of any road infrastructure, subject to the conditions and exceptions, if any, set out in column (3) thereof.
 - (2) The State Government, after giving by notification not less than thirty days notice of its intention so to do, may by like notification, add to or delete any vehicle from the Schedule –II and thereupon the said Schedule-II shall be deemed to be amended accordingly.
 - (3) Every notification issued under sub-section (2) shall, as soon as may be, after it is issued, be laid on the Table of the Legislative Assembly.

Power to make rules

15. The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules consistent with this Act, for securing the levy and collection of cess and generally for carrying out the purposes of this Act.

Validation

- 16. (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in other acts., no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of, and no enforcement shall be made by any court or authority of any decree or order directing the refund of any such aforesaid cess which has been collected or paid.
 - (2) For the removal of doubts, it is hereby declared that-

Nothing in sub-section (1) shall be construed as preventing any person-

- (a) from questioning in accordance with the provisions of the said Act, the levy, collection or payment of the aforesaid cess; or
- **(b)** from claiming refund of aforesaid cess paid by him in excess of the amount due from him under the provisions of the Act.

.....

Repeal and Savings

- **17. (1)** The Uttarakhand Transport and Civic Infrastructure Cess Ordinance, 2012 (Uttarakhand Ordinance No. 10 of 2012) is hereby repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been taken under this Act, wherein under this Act as if this Act was in force at all material time.

SCHEDULE -I

	{* * *}	
1- Repeal Schedule I by section 4 of Uttrkahand Act no. 13	of 2016	

SCHEDULE-II

(See Section 14)

Sl. No.	Particulars.	Conditions and Exceptions.
1.	2.	3.
1.	The motor vehicles belonging to the President, and	
	Vice-President of India, Defence Services of Union of	
	India, Diplomatic Core, Hon'ble Supreme Court and all	
	High Court.	
2.	[The motor vehicles belonging to the Ministers, State	

	Ministers, Deputy Ministers, Speaker, Deputy Speaker	
	of the Legislative Assembly, Chairman, Vice-	
	Chairman of the Legislative Council, Members	
	Legislative Council, Member Legislative Assembly,	
	Members Legislative Council of different States.] ¹	
3.	The motor vehicles belonging to the fire service, ambulances and vehicles specially designed for use by	
	physically handicapped person.	
4.	Motor vehicles, scooters and tractor used for agricultural purposes (when used for agricultural work).	
5.	All motor vehicles registered in the State of	
	Uttarakhand.	

.....

¹⁻ Subs. by section 4 of UK Act no 28 of 2016.